

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
बिकर सिंह बनाम कलविन्द सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 24 सन 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/100 (Ry No. 2024/100)

हुस या कार्यवाही मग इनिशियल जल

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुस की तामील
में जारी हुए

मेल
क्रम

2024

प्रार्थी बिकर सिंह पुत्र गाजर सिंह जाति जटसिय
निवासी 27 एफ कमीनपुरा की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार
जागिंड के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया।
वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस
तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.05.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

5/24 प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची
स. 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री
राजेंद्र राणा उपस्थित आए। अप्राची
स. 1/2 की तलबी की डिलिवरी रिपोर्ट
पेश की शामिल मिसल की गरी पत्रावली
वास्ते जवाब प्राचीना पत्र दिनांक 10/6/24
को पेश हो।

6/24 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीना
पत्र हेतु सप्रदा पाहा। पत्रावली वास्ते
जवाब प्राचीना पत्र दिनांक 3/7/24
को पेश हो।

6/24 आज यह पत्रावली प्राची अधिवक्ता के
द्वारा प्राचीना पत्र पेश करने पर पेशी
में ली गयी प्राचीना पत्र में विवेदत किया
कि उक्त प्रकरण में हथ पकाकार का शमीनामा
हो चुका है। इसलिए प्रकरण खारिज किया
जावे। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची
अधिवक्ता द्वारा प्राचीना पत्र अन्तर्गत
धारा 32 RTA नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली निर्णीत होकर गुबर से कम
होकर वापिल फूट हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

